कार्यवाही विवरण

मेसर्स सहसपुर लोहारा लाईम स्टोन माईन (प्रो.—मोहम्मद असलम मेमन), ग्राम—सहसपुर लोहारा, तहसील—सहसपुर लोहारा, जिला—कबीरधाम स्थित खसरा कमांक— 933/1, 933/2, 933/3, 933/4, 933/5, 964/2, 964/3 एवं 964/4 कुल क्षेत्रफल—2.18 हेक्टेयर, चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान उत्खनन क्षमता— 52,000.03 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 27.10.2021, समय दोपहर 12:30 बजे, स्थल—स्वच्छता मंगल भवन, सहसपुर लोहारा, तहसील—सहसपुर लोहारा, जिला—कबीरधाम (छ.ग.) में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :—

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत मेसर्स सहसपुर लोहारा लाईम स्टोन माईन (प्रो.—मोहम्मद असलम मेमन), ग्राम—सहसपुर लोहारा, तहसील—सहसपुर लोहारा, जिला—कबीरधाम स्थित खसरा कमांक—933/1, 933/2, 933/3, 933/4, 933/5, 964/2, 964/3 एवं 964/4 कुल क्षेत्रफल—2.18 हेक्टेयर, चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान उत्खनन क्षमता— 52,000.03 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में समाचार पत्रों द पायोनियर, नई दिल्ली, दिनांक 23.09.2021 एवं दैनिक भास्कर, रायपुर दिनांक 23.09.2021 में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदानुसार लोक सुनवाई दिनांक 27.10.2021 समय दोपहर 12:30 बजे स्थल—स्वच्छता मंगल भवन, सहसपुर लोहारा, तहसील—सहसपुर लोहारा, जिला—कबीरधाम (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जनसामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्लू.सी.जेड) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राउण्ड फ्लोर ईस्ट विंग न्यू सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र), कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला—कबीरधाम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला—कबीरधाम, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला—कबीरधाम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत—सहसपुर लोहारा, जिला—कबीरधाम, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला, भिलाई, जिला—दुर्ग एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास, भवन, सेक्टर—19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में मौखिक अथवा लिखित रूप से आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका—टिप्पणियां लोक सुनवाई की सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला—दुर्ग में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला—दुर्ग में उक्त परियोजना के संबंध में कोई मौखिक अथवा लिखित रूप से कोई आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका—टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई है।

उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 27.10.2021 को दोपहर 12:40 बजे, स्थल–स्वच्छता मंगल भवन, सहसपुर लोहारा, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम में संयुक्त कलेक्टर, जिला–कबीरधाम की अध्यक्षता में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम संयुक्त कलेक्टर, जिला कबीरधाम द्वारा निर्धारित तिथि स्थल एवं समय पर लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रकिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् उद्योग की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री बुद्धदेव पाण्डे, ई सीरीज इन्वायरोटेक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

संयुक्त कलेक्टर, जिला कबीरधाम द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने परियोजना के संबंध में अपना सुझाव, विचार, आपत्ति एवं टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री रामजी मरकाम, ग्राम–धनगांव, जिला–कबीरधाम।**
   - कोई दिक्कत नहीं माईन्स खुल रहा है। धूल नहीं उड़ना चाहिए। वृक्ष लगना चाहिए। बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। धन्यवाद।
2. **श्री देवा पटेल, ग्राम–नवापारा, जिला–कबीरधाम।**
   - जो यहां के किसानों लोग हैं, यहां पर खदान खुल जायेगा तो अच्छा रहेगा लोगों को काम मिलेगा।
3. **श्री सोहन वर्मा, ग्राम–बिरनपुरकला, जिला–कबीरधाम।**
   - कोई आपत्ति नहीं है, रोजगार मिला है।
4. **श्री जगनूराम नेताम, ग्राम–छोटूपारा, जिला–कबीरधाम।**
   - खदान खुलने से हम लोगों का बेरोजगारी कम हो जायेगी, खदान खुलवाने का कष्ट करें।
5. **श्री रूपेन्द्र कुमार साहू, ग्राम–पवनतरा, जिला–कबीरधाम।**
   - खदान खुलने की अनुमति चाहता हूं।
6. **श्री महेन्द्र मेरावी, ग्राम–सोनपुरी, जिला–कबीरधाम।**
   - ठीक है खदान खुलना चाहिए, रोजगार मिलेगा।
7. **श्री ऋषि गुप्ता, ग्राम–सिंगारपुर, जिला–कबीरधाम।**
   - खदान खुलने से सबको रोजगार मिलेगा।

8. **श्री दिनेश पटेल, ग्राम–सिल्हाटी, जिला–कबीरधाम।**

➢ हम अभी बेराजगार हैं हमें कुछ काम दो, खदान खुलने की अनुमति दें बस यही निवेदन है।

9. **श्री मोहना पटेल, ग्राम–नवापारा, जिला–कबीरधाम।**

➢ यहां कोई सरकार काम नहीं मिलता है इसलिये खदान खुलना चाहिए।

10. **श्री सूरज यादव, ग्राम–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम।**

➢ खदान खुलना चाहिए। खदान खुलेगा तो काम मिलेगा।

11. **श्री अब्दुल रज्जाक मेमन, ग्राम–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम।**

➢ खदान खुलने पर पर्यावरण पर ध्यान दिया जायेगा, पेड़ पौधे लगाये जायेंगे, ज्यादा लोग काम करेंगे तो कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, पान ठेला खुलेगा, बस वालों को इससे रोजगार मिलेगा, इसलिये यह खदान खुलना चाहिए।

12. **सत्यभामा वर्मा, ग्राम–नवघटा, जिला–कबीरधाम।**

➢ खदान खुलने से कोई आपत्ति नही है, जिससे जो लोग बाहर काम करने जा रहे हैं वे लोग यहां पर काम करेंगे।

13. **श्री रामप्रसाद साहू, ग्राम–छोटूपारा, जिला–कबीरधाम।**

➢ हम बेरोजगार हैं खदान खुलने के लिये अनुमति देना चाहिए।

14. **श्री राकेश साहू, ग्राम–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम।**

➢ खदान खुलने से काम मिलेगा।

15. **श्री इमरान खान, ग्राम–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम।**

➢ खदान खुलने से काम मिलेगा।

16. **श्री दुर्गेश पटेल, ग्राम–जरहाटोला, जिला–कबीरधाम।**

➢ मैं बेरोजगार हूं, रोजगार मिलना चाहिए।

17. **श्री विसंभर साहू, ग्राम–छोटूपारा, जिला–कबीरधाम।**

➢ हम बेरोजगार है। खदान खुलने का अनुमति दे।

18. **श्री नारायण विश्वकर्मा, ग्राम–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम।**

➢ खदान खुलने से हमको काम मिलेगा, गांव का विकास होगा।

19. **श्री योगेश कुमार मरावी, ग्राम–बाजपुरा, जिला–कबीरधाम।**

➢ हम लोग सब बेरोजगार हैं, खदान खुलने की अनुमति दे दें।

20. **श्री विष्णु ठाकुर, ग्राम–सुतियापाट, जिला–कबीरधाम।**

➢ हम लोग बेरोजगार हैं, यहां पर खदान खुलने से रोजगार मिलेगा।

21. **पुनः उद्बोधन श्री अब्दुल रज्जाक मेमन, ग्राम–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम।**
➢ खदान खुलने से कितने लोगों को रोजगार मिला है ये बताये, पर्यावरण के बारे में बताये, कितने पेड़ लगाये हैं ये बताये ?

22. **श्री पालेश्वर नेताम, ग्राम–मलाजखण्ड, जिला–कबीरधाम।**
➢ खदान खुलना चाहिए।

23. **श्री गजानंद पटेल, ग्राम–नवारापारा, जिला–कबीरधाम।**
➢ खदान खुलने से बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है, पर्यावरण पर भी काम चल रहा है। खदान खुलना चाहिए।

24. **श्री सूरज कुमार ध्रुर्वे, ग्राम–धनगांव, जिला–कबीरधाम।**
➢ मैं बेरोजगार हूं, खदान खुलना चाहिए।

25. **श्री मोहित पटेल, ग्राम–नवापारा, जिला–कबीरधाम।**
➢ हम लोग बेरोजगार है खदान खुलने की अनुमति दे।

26. **श्री हेमन्त, ग्राम–नवापारा, जिला–कबीरधाम।**
➢ रोजगार मिलना चाहिए।

27. **श्री मेशराम वर्मा, ग्राम–छोटूपारा, जिला–कबीरधाम।**
➢ मैं बेरोजगार हूं, खदान खुलने की अनुमति दी जाये।

28. **श्री चन्द्रशेखर नागराज, ग्राम–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम।**
➢ मुझे कुछ जानकारी चाहिए, खदान खुलने से पर्यावरण को क्या लाभ होगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, कितने लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा, छोटे छोटे मिस्त्री को रोजगार मिलेगा क्या, छोटी बड़ी गाड़ियो चलेंगी, कृपया बताये ?

29. **पुनः उद्बोधन, श्री ऋषि गुप्ता, ग्राम–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम।**
➢ खदान खुलने से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, रास्ता का क्या होगा, पर्यावरण की क्या स्थिति होगी ?

30. **श्री अजय पटेल, ग्राम–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम।**
➢ खदान खुलने से सहमत है तो खदान खुलना चाहिए।

31. **श्री चुम्मन पटेल, ग्राम–नवापारा, जिला–कबीरधाम।**
➢ खदान खुलने से रोजगार मिलेगा, खदान खुलने की अनुमति दी जाये।

32. **श्री धन्नू वर्मा, ग्राम–शिवपुरी, जिला–कबीरधाम।**
➢ खदान खुलना चाहिए इससे हमें रोजगार मिलता है।

33. **श्री प्रकाश ध्रुर्वे, ग्राम–छोटूपारा, जिला–कबीरधाम।**
➢ मैं बेरोजगार हूं, ये खदान खुलने का समर्थन करता हूॅ।

34. **श्री तुलाराम पटेल, ग्राम–नवापारा, जिला–कबीरधाम।**
➢ हम बेरोजगार हैं, ये खदान खुलना चाहिए।

35. श्री कौशल कुमार नागराज, ग्राम–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम।

➢ ट्रक चलने से धूल उड़ेगी उसके लिये क्या ? करेंगें और कितने पेड़ लगाये गये हैं ?

36. श्री पीयूष चोपड़ा, ग्राम–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम।

➢ खदान तो खुलना चाहिए उससे रोजगार मिलेगा, रायल्टी मिलेगा, जो लोग वहां पर काम करेंगे उन लोगों को बीमा होगा क्या ? धूल उड़ेगी उसकी क्या व्यवस्था रहेगी ?

37. पुनः उद्‌बोधन, श्री दिनेश पटेल, ग्राम–सिल्हाटी, जिला–कबीरधाम।

➢ खदान खुलने से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ?

उपरोक्त वक्तव्य के बाद संयुक्त कलेक्टर एवं क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब संयुक्त कलेक्टर जिला कबीरधाम द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् खदान की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री बुद्धदेव पाण्डे, ई सीरीज इन्वायरोटेक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमुदाय द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :–

आज दिनांक 27.10.2021 को ग्राम–सहसपुर लोहरा, जिला–कबीरधाम खसरा नं. 933/1, 933/2, 933/3, 9334/4, 933/5, 964/2, 964/3 एवं 964/4, कुल आवेदित रकबा 2.18 हेक्टेयर क्षेत्र पर मैं आवेदक मो0 असलम मेमन पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत् जनसुनवाई कार्यक्रम एवं माननीय क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई, जिला–दुर्ग को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तावित खदान का संचालन अनुमोदित उत्खनन योजना में उल्लेखित नियमों के अनुरूप किया जावेगा एवं खदान संचालन के दौरान खनिज शाखा तथा पर्यावरण विभाग द्वारा निर्देशित नियमों का पूर्णतः पालन किया जावेगा। इसके साथ ही –

❖ मेरे द्वारा स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार में प्राथमिकता दी जावेगी और मजदूरी का भुगतान नियत समय पर किया जाएगा। 26 लोगों को प्रत्यक्ष एवं लगभग 50 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

❖ स्थानीय निजी वाहन स्वामियों को खदान में रोजगार के साथ शासन द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान समय से किया जावेगा।

❖ वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करके प्रदूषण को कम किया जावेगा। सड़कों का उचित रख–रखाव तथा वाहनों का संचालन तॉरपोलिन से ढ़ककर किया जावेगा।

❖ कॉरपोरेट इन्वॉयरमेंट रिस्पोंसिबिलिटी के तहत् गर्वमेंट हायर सेकेण्डरी स्कूल – सहसपुर लोहरा में तथा गर्वमेंट प्राईमरी स्कूल–बांधाटोला में कॉरपोरेट इन्वॉयरमेंट रिस्पोंसिबिलिटी

के तहत् कुल 2,02,000 रूपये व्यय किये जायेंगे। साथ ही ई.एम.पी. के तहत् 12.75 लाख एवं 7.32 लाख रूपये खर्य किये जायेंगे।

- ग्रीन बेल्ट योजना के तहत् खदान की सीमा क्षेत्र में तथा पहुंच मार्ग में कुल 1544 पौधे तथा सुरक्षा के लिए कांटेदार बाड़ के साथ, नियत अंतराल पर वृक्षारोपण किया जावेगा।
- ग्रामवासियों के द्वारा अन्य सुविधाओं हेतु जैसे स्कूल, सामुदायिक भवन, पेयजल एवं ग्राम पंचायत में विकास के अन्य कार्यों के बारें में यह कहना चाहूंगा कि खदान संचालन के दौरान जिला खनिज निधि (DMF) के रूप में निर्धारित राशि शासन को जमा की जाती है। जिसका उपयोग शासन द्वारा इन मदों में किया जाता है।
- खदान में कार्यरत मजदूरों के स्वास्थ्य बीमा के लिये 60,000/– रूपये प्रतिवर्ष खर्च किये जायेंगे।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित मे 06 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजनाओं पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 37 व्यक्तियों (03 व्यक्तियों द्वारा दो बार उद्‌बोधन) के द्वारा कुल 34 व्यक्तियों द्वारा मौखिक आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय में से कुल 36 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

संयुक्त कलेक्टर, जिला–कबीरधाम द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जनसमुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर 01.50 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

संयुक्त कलेक्टर
जिला–कबीरधाम